न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/62/2019

प्रवेश तिथि 25.11.19

अपीलार्थी
श्री राकेश कुमार सैनी,
निवासी न्यू क्वार्टर नं. 122, आर.पी.ए.,
शास्त्री नगर, जयपुर राज0।

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 30.12.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 07.10.19 पर प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के क्षेत्राधीन संधारित मुकदमें संबंधी सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया।
4. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 07.10.19 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 15.11.19 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2019/1390–91 दिनांकः 25.11.19 के माध्यम तलब कर दिनांकः 03.12.19 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ। जिसे अभिलेख पर लिया गया। प्रत्यर्थी उप0 नहीं हुआ।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से उक्तांकित अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी भी उपस्थित नहीं आया। प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक सू0का0अधि0/19/3106 दि0 03.12.19 के माध्यम से पेश जवाब एवं अपील का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब में अंकित किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक 3060 दि0 15.11.19 को जर्ये रजिस्टर्ड डाक भेजा गया। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब के साथ संलग्न लिफाफे की छायाप्रति पर डाक विभाग द्वारा यह अंकन करते हुये लौटा दिया गया कि "क्वार्टर 22 पूछने पर बताया कि यहां इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

रहता है। अतः वापिस।" तथा प्रत्यर्थी द्वारा भी उक्त लिफाफे पर अपीलार्थी का पता भी गलत अंकित किया गया है। जिसके कारण डाक विभाग द्वारा उक्त अंकित किया गया।

7. उसके बावजूद भी अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में या उसके बाद एवं प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दायर करने के बावजूद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आदिनांक ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं जो अधिनियम की भावना, प्रावधान एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल है एवं उक्त अधिनियम की ठोस अनुपालना के प्रति प्रत्यर्थी विभाग की उदासीनता का परिचायक है।

8. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 07.10.19 में वांछित सूचना, उनके अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी सूचना निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को उसके सही पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा बिन्दूवार उपलब्ध कराई जावे।

9. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे एवं इस प्रकार की पुनरावृति ना हो, सुनिश्चित करें।

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित ।

(भगवतसिंह देवल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)